1.4.21 पत्रावली आज पेश हुई। अनुसार आदेश उपस्थित वकील अपीलार्थी ने कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट 1 ता 7 के खिलाफ दिनांक 18.3.21 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है इस लिए वकील अपीलार्थी को इक तरफा तौर पर सुना गया उक्त अपील इन्तकाल संख्या 203 दिनांक 14.5.1993 को उपनिवेशन तहसीलदार [illegible] के द्वारा स्वीकृत किया गया के विरुद्ध पेश की जिसके अपीलार्थी जो किशनी बेवा लीलाधर का पुत्र है जिसका विरासत इन्तकाल लीलाधर की मृत्यु उपरान्त स्वीकृत किया था जिसमे रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ता 5 में जान बूझकर अपीलार्थी को उनका सगा भाई है इन्तकाल में नाम दर्ज नहीं करवाया जो कुर्सीनामा व वारिस प्रमाण पत्र से साबित होता है इस लिये अपीलार्थी जो ~~लीलाधर~~ लीलाधर का ~~कथन~~ जायज वारिसान है जिनके भाइयो ने अपनी मोरूसी भूमि को हड़पने की गरज से उक्त इन्तकाल स्वीकृत कराया जो कानूनी व विधी विरुद्ध है हिन्दु उत्तराधिकार कानून अनुसार सभी वारिसान का भूमि में बराबर हक व हिस्सा बनता है। इस लिये उक्त अपील को मियाद बाहर पेश की गई है

[signature]

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निस्तारण मियाद हेतु उचित कारण प्रस्तुत होने के कारण अपील इनाम के दिन से अन्दर मियाद शुमार की जाकर मियाद में जानकारी के आधार से हुई देरी क्षमा की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तथा प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के पाबन्द नहीं होने की वजह से धारा 96 सपठित पत्र के तहत अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील स्वीकार करके तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को मामला गुणावगुण के आधार पर दोनों पक्षकारों को सुन कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है तथा इन्द्राज संख्या ~~293~~ 293 निरस्त किया जाता है पत्रावली मय मिसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो फैसला आज दिनांक 1.4.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया (हस्ताक्षर)	